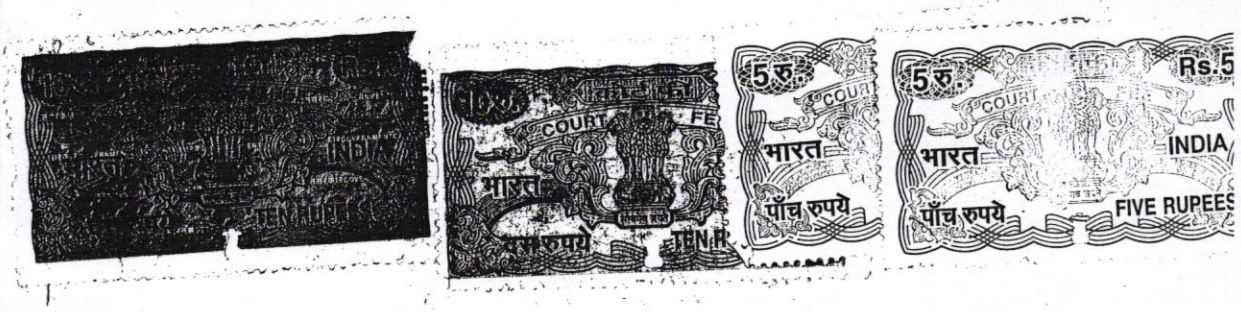

11

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

R 3899- I 16

निगरानी क्र0 - सन् - 2016

1-झल्लू तनय गरीबा लुहार निवासी बछौन तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0

2- केदार तनय बद्री विश्वकर्मा निवासी चकला तहसील गौरिहार जि0छतरपु

-- आवेदकगण

ब ना म

1- सुक्खा उर्फ सुखलाल तनय रामपाल विश्वकर्मा

2- मीरा पुत्री रामपाल विश्वकर्मा

3- रामलली पुत्री रामपाल विश्वकर्मा

4- रामकली पुत्री रामपाल विश्वकर्मा

5- गौरीबाई पुत्री रामपाल विश्वकर्मा

6- गुड्डोबाई पुत्री रामपाल विश्वकर्मा

7- बलवान तनय चन्द्रपाल विश्वकर्मा

8- पार्वती पत्नी रामपाल {मृतक} विश्वकर्मा
समस्त निवासी ग्राम गुधौरा तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0

8- शासन मध्य प्रदेश -- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधि लवकुशनगर जिला छतरपुर के अपील प्र0क्र0 17/अपी 2012-13 आदेश दिनांक 05-04-2016 अपील अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मुकदमा मार्फत एडवोकेट
18-11-16 को

18-11-16

553
18-11-16

मान्यवर महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्न विनय प्रस्तुत है :-

1- यहकि आ0नं0 4238 ,4239, 4240, 4241, 4243, 4244,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–3899–एक/16 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.02.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनीत वर्मा उपस्थित। अना0 अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में आवेदक क. 1 झल्लू की मृत्यु दिनांक 17.10.2017 को हो चुकी है। आवेदक भी इस बात से सहमत हैं कि आवेदक क. 1 की मृत्यु हो चुकी है। परंतु उनका पक्षकार से संपर्क न हो पाने के कारण वारिसान आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है। अना0 अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में होना है। ऐसी स्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाए। 2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अना0 पार्वती की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसानों को अभिलेख पर लिए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुने जाने के उपरांत स्वीकार किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण उभयपक्षों को सुनकर गुण–दोष पर किया जाना है। ऐसी स्थित में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है। अभिलेख वापिस हो। प्रशासकीय सदस्य	